

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री उत्तम कुमार माली
निवासी वीरवाडा
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 17 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2026	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांत के पत्र क्रमांक 1559 दिनांक 01.08.2023 पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांत के पत्र क्रमांक 1559 दिनांक 01.08.2023 पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सु.अ./रेकॉर्ड/2026/2 दिनांक 02.01.2026 के द्वारा अपीलांत को सूचित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में रेस्पोंडेन्ट की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(अल्पा चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरौही